101

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर(म0प्र0)

II/पुनर्विलोकन/सीधी/भू.रा/2018/0876

1. मु0 शकुंतला वानी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल वानी
2. संतोष कुमार वानी तनय स्व0 श्री शंकरलाल वानी
3. सुनील कुमार वानी स्व0 श्री शंकरलाल वानी
4. शरद कुमार वानी स्व0 श्री शंकरलाल वानी

सभी निवासीगण – ग्राम अमिलिया तह0 सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

.... **पुनरीक्षणकर्तागण**

बनाम

1. मु0 अनारकली पत्नी स्व0 श्री भरतलाल वानी
2. संगमलाल वानी पिता स्व0 श्री भरतलाल वानी

सभी निवासीगण – ग्राम अमिलिया तह0 सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

.... **गैर– पुनरीक्षणकर्तागण**

श्री प्रमोद चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 02.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.2.18 नियत। लिपिक आमद शाखा 2.2.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण निगरानी 321–दो/2017 व पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51म.प्र.भू.रा.सं.1959ई0।

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष तहसीलदार तह0 सिहावल जिला सीधी म0प्र0 के आदेश दिनांक 11.08.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी अनारकली व अन्य बनाम मु0 शकुंतला वानी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो आराजी नं. 1440/2 रकवा 0.032 हे. भूमि से संबंधित था और माननीय तहसीलदार साहब ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2016 में विस्तृत व्याख्या प्रत्येक तथ्यों से संबंधित करते हुए विधि अनुकूल आदेश पारित किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 को तहसीलदार तह0 सिहावल का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को प्रत्यावर्तित का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में कुछ विधिक व महत्वपूर्ण तथ्य भूलवश आदेश में लेख न हो पाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष गैर–निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्तागणों द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है :–

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 में कानूनी भूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

X. XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. II / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2018 / 876.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	आवेदक अभि० श्री के०के०त्रिवेदी उप० होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.